

No.36/1/2014-R&SO
Government of India
Ministry of Home Affairs
FFR Division

NDCC-II Building, Jai Singh Road,
New Delhi-110001.

Dated the 16 May, 2014

To

Shri Anil Kumar Chaurasia,
Khaiber Line, Ward No. 43,
Sant Kawar Ram Ward,
Post – Madhav Nagar, Dist – Jabalpur,
Madhya Pradesh.

Subject:- Application under RTI Act, 2005

Sir,


Please refer to your application dated 17.02.2014 addressed to Ministry of Labour & Employment and to say that the requisite information as sought by you is furnished as under:-

A. Despite thorough search and consistent efforts, the record more than 42 years old, the required documents could not become traceable.

B. Record not available. However, the Displaced persons holder of verified claims were/are paid compensation and rehabilitation grants as per the provision of Displaced Persons (C&R) Act, 1954 and Rules framed there under. The compensation against verified claims of urban and rural land was determined as per the scale of compensation specified in Appendices VIII and/or IX to Rule 16 of the Displaced Persons (C&R) Rules respectively.

The Appellate Authority in the matter is Shri K.K. Pathak, Joint Secretary (FFR), Ministry of Home Affairs, NDCC-II Building, Jai Singh Road, New Delhi.

Yours faithfully,



(Shyam Sunder)


Deputy Secretary/CPIO

Copy for information to:-

(i) Shri S. Samanta, Under Secretary, MHA, North Block, New Delhi w.r.t. letter No.A-43020/1/2014-RTI dated 23/29.04.2014.

(ii) Section Officer, IT Cell, MHA, North Block, New Delhi for uploading in MHA website. Copy of the RTI application is enclosed.

Encl: As above.



(Shyam Sunder)

Deputy Secretary/CPIO

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6)(1)

आवेदन पत्र

1. आवेदक का नाम अनिल कुमार चोव्हाणी वल्द श्री नारायणदास चोव्हाणी
2. पूरा पता/ई-मेल/फैक्स, जिस पर जानकारी प्रेषित की जाना है रवेंकर लाइन वाई लुंमाकु 43 संतकुवर राम चौड
3. फोन नं. 9827627383
4. आवेदन देने की दिनांक 17-02-2014
5. कार्यालय का नाम श्रीमान लोक सूचना अधिकारी, पुनर्वास व श्रम मंत्रालय
6. चाही गई जानकारी का विवरण पुनर्वास विभाग के नियंत्रण, नई दिल्ली भारत शास

A) केन्द्र शासन पुनर्वास व श्रम मंत्रालय से जारी पत्र दिनांक नई दिल्ली, 11/01/14 फुखरी 1972 मंत्रालय सचिव पुनर्वास विभाग को जारी पत्र की प्रमाणित प्रति प्रदान करने सुनिश्चित करें।

B) वर्ष 1948 भारत में आरंभ कर गये थे के लिए बनाई गई विस्थापित पुनर्वास नीति की प्रमाणित प्रति प्रदान करे एवं विस्थापितों को दिये गए भूजाजवे नामवली सूची एवं आधारित की भूमि की सूची प्रदान करना सुनिश्चित करें।

7. क्या चाहते हैं नकल/निरीक्षण/रिकार्ड का निरीक्षण/रिकार्ड की प्रमाणित/प्रमाणित नमूना
8. आवेदन के साथ अदा की जाने वाली प्रोसेस फीस रुपये 10/- नगद स्टाम्प (वी.पी.एल. सूची के सदस्य को देय नहीं)
9. क्या आवेदक गरीबी रेखा के नीचे है अथवा नहीं-हाँ/नहीं नहीं
- यदि है तो वी.पी.एल. सूची का अनुक्रमांक नहीं

D.L.W.


Aravind
हस्ताक्षर (आवेदनकर्ता)

टीप:- क्या आवेदक के द्वारा डाक से आवेदन प्रेषित किया जाता है तो आवेदन पत्र पर 10/- का स्टाम्प चरपा करते हुए रजिस्टर्ड यू.पी.सी./डाक व्यय सहित स्वयं का पता लिखा हुआ लिफाफा साथ में संलग्न करें। वी.पी.एल. सूची के सदस्य को डाक व्यय देय नहीं।

पावती

1. आवेदन प्राप्त होने की दिनांक.....
2. आवेदनकर्ता के लिये वांछित जानकारी प्राप्त करने के संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित होने का दिनांक.....
3. संबंधित शाखा/अधिकारी जहाँ से जानकारी प्राप्त होगी.....

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
(लोक सूचना अधिकारी/सहा.लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्राधिकृत)
पदनाम (रवर सील)
दिनांक



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

49AA 352959

चैतना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा(4)(1)के अन्तर्गत आवेदन शुल्क
दस रुपये मात्र

[Handwritten signature]